स्वच्छ एवं हरित गाँव

हरे-भरे गाँवों के लिए जल का महत्व

-सुनील कुमार अरोड़ा

यह मिशन दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक कार्यक्रमों में से एक है क्योंकि भारत की विशाल आबादी इस मिशन की लक्षित लाभार्थी है। ग्रामीण घरों में पीने के पानी की पहुँच और शौचालयों के निर्माण के स्तर में काफी सुधार हुआ है। अपने कार्यान्वयन के दौरान मिशन के तहत देश भर में अब तक स्वच्छता और साफ-सफाई सुविधाओं के स्तर में काफी वृद्धि हुई है। हालाँकि मिशन के लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल करने से पहले अभी भी एक महत्वपूर्ण रास्ता तय करना बाकी है।

भारत संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा का एक हस्ताक्षरकर्ता है और 17 चिह्नित लक्ष्यों के माध्यम से समावेशी, जन-केंद्रित और समग्र सतत विकास प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। भारत सरकार सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए 'किसी को भी पीछे न छोड़ने' के आदर्श उद्देश्य को लेकर 'संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज' दृष्टिकोण के साथ रणनीतिक दृष्टि, प्राथमिकता और कार्यान्वयन विधियों के साथ काम कर रही है।

एसडीजी प्रकृति में एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं और एक खास एसडीजी कई मंत्रालयों से सम्बद्ध हो सकता है जिसे कई योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकता है। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, पंचायती राज मंत्रालय ने, जमीनी स्तर पर एसडीजी के स्थानीयकरण के लिए 17 संयुक्त राष्ट्र -एसडीजी को 9 व्यापक विषयों में रीमैप किया है ताकि उन्हें विषयगत अप्रोच से, ग्राम पंचायतों के ज़रिए, जो अंतिम मील संस्थान हैं, क्रियान्वित किया जा सके। और सभी संबंधित हितधारकों के ठोस और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से उनकी प्राप्ति संभव हो सके। इन्हीं 9 थीम में से एक थीम 'स्वच्छ और हरित गाँव' भी है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि "भारत हमारे गाँवों में बसता है।" "यदि गाँव नष्ट हो जाते हैं, तो भारत नष्ट हो जाता है।" गाँधीजी का 'आत्मनिर्भर' गाँवों का जो विज़न था, अब हम उसे 'हरित गाँव' के रूप में देखते हैं। इसीलिए ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र का करीब से अध्ययन बेहद ज़रूरी है जिससे सामाजिक आवश्यकताओं और लाइफ सपोर्ट सिस्टम के परस्पर प्रभाव को समझा जा सके।

लेखक राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय में पूर्व सलाहकार (सी एंड एम) रह चुके हैं । वर्तमान में भारतीय रक्षा अभियंता सेवा अधिकारी हैं। ईमेलः skarora_1@yahoo.co.in

विज़न

हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा गाँव बनाना जो प्रकृति के उपहारों से भरपूर एवं हरा-भरा हो, स्वच्छ हो, जहां नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग किया जाता हो और पर्यावरण के संरक्षण के साथ-साथ जलवायु के प्रति लचीला हो।

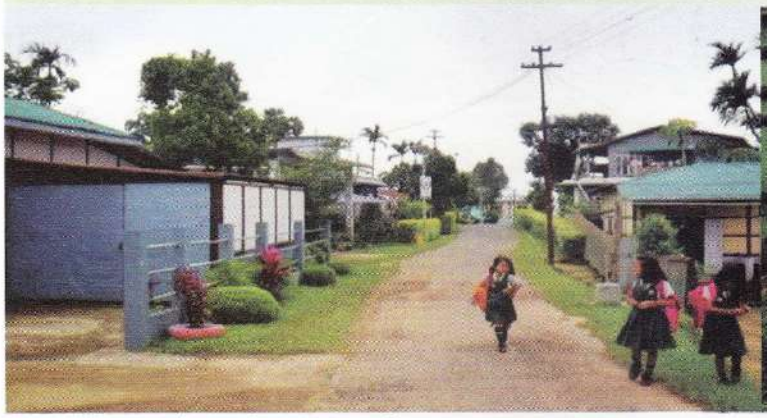

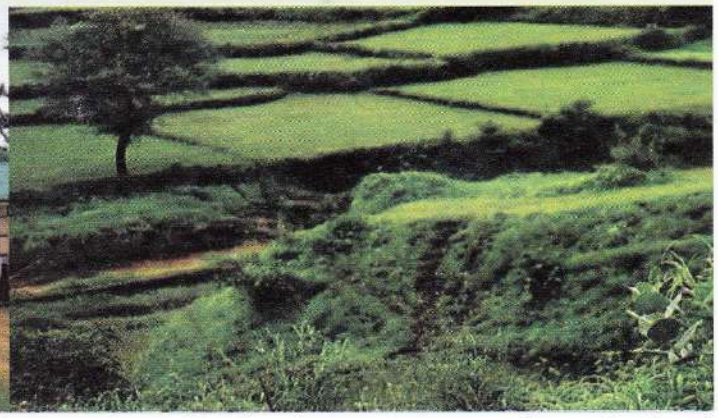

'स्वच्छ' और 'हरित' का अर्थ मात्र कचरा हटाना या कुछ पेड़-पौधे लगाना नहीं है; यह स्वास्थ्य; जलवायु कार्रवाई; जल संरक्षण; जीवन प्रत्याशा बढ़ाने और कल्याण इत्यादि को भी संदर्भित है। 'स्वच्छ' का तात्पर्य स्वच्छ घरों, स्वच्छ संस्थानों, स्वच्छ सामुदायिक बस्तियों और स्वच्छ वातावरण से है जो संपूर्ण ग्राम स्वच्छता के सभी तत्वों को समाहित करता है जो दृश्यमान स्वच्छता के माध्यम से प्रकट होता है। एक स्वच्छ गाँव के विभिन्न पहलू हैं जैसे जल आपूर्ति, स्वच्छता, घर के अंदर वायु गुणवत्ता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आदि।

हालाँकि 'हरित गाँव' की कोई परिभाषा नहीं है लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि "हरित गाँव से तात्पर्य ऐसे गाँव से है जिसे प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित किए बिना सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक रूप से विकसित किया जा सकता है।"

स्वच्छ एवं हरित गाँव के घटक

स्वच्छ एवं हरित गाँव का निर्माण करने वाले व्यापक घटक नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक घटक में कई तत्व होते हैं। प्रत्येक घटक और तत्व ग्राम स्तर पर विशिष्ट कार्य बिंदुओं से बने होते हैं।

ग्राम स्तर पर कार्यबिंदु

1. खुले में शौचमुक्त गाँव
2. स्वच्छ एवं हरित विद्यालय
3. स्वच्छ एवं हरित आंगनबाड़ियाँ
4. ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन
5. अपशिष्ट जल प्रबंधन
6. सौर एवं पवन ऊर्जा सहित सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा
7. हरियाली का विकास
8. जैविक खेती को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों में कमी लाना
9. स्वच्छ और हरित जीवन का जश्न मनाना
10. स्थानीय समितियों को मज़बूत करना और भागीदारी को अधिक से अधिक बढ़ाना
11. स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति
12. घर के अंदर वायु गुणवत्ता में सुधार
13. ऊर्जा संरक्षण एवं
14. वर्षा जल संचयन सहित वर्षा जल संरक्षण।

'हरित' से तात्पर्य एक ऐसे विश्व से है जिसमें सभी प्राकृतिक संसाधनों जैसे महासागरों, भूमि और जंगलों आदि को स्थायी रूप से प्रबंधित किया जाए और आजीविका में सुधार और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संरक्षित किया जाए और साथ ही ,सबसे अधिक महत्वपूर्ण रूप से भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण का संरक्षण किया जाए।

'स्वच्छ' से तात्पर्य सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल और स्वच्छता सेवाओं तक पहुँच के साथ-साथ कम प्रदूषण तथा कम उत्सर्जन वाली दुनिया से है जिसमें स्वच्छ हवा, पानी और महासागर लोगों को स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। इस प्रकार, एक ग्राम पंचायत (जीपी) जो एक स्वच्छ और हरित गाँव बनने पर ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य लेकर चलती है, उसे जल संसाधनों को कवर करने वाले घटकों के संरक्षण और रखरखाव और उनके नदियों तथा नालों, भूमि संसाधनों और मृदा स्वास्थ्य से लिंक के बारे में स्पष्टता की आवश्यकता होगी।

स्वच्छ और हरित गाँव के लिए सरकार की पहल

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण के आधार पर थीम 5 : स्वच्छ और हरित गाँव का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के माध्यम से हो, इसके लिए भारत सरकार के 9 सचिवों द्वारा एक संयुक्त पत्र/परामर्श पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 31 मार्च, 2022 का ये पत्र मंत्रालयों और विभागों की इस आकांक्षा को इंगित करता है, जो ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर इस दिशा में प्रयास के तहत अपनी चालू योजनाओं के तहत पूर्ण

समर्थन प्रदान करने के लिए संयुक्त पत्र के हस्ताक्षरकर्ता हैं। जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) इस विषय के लिए नोडल मंत्रालय है। भारत सरकार की अन्य पहलों का विवरण लेख में आगे दिया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, "पानी, स्वच्छता और साफ-सफाई तक पहुँच में सुधार से प्रति वर्ष 1.4 मिलियन लोगों की जान बचाई जा सकती है।"

हम सभी इस लोकोक्ति से भलीभाँति परिचित हैं 'स्वच्छता ईश्वर की भक्ति के समान है।' स्वच्छ भारत घटक के तहत, भारत सरकार देश को स्वच्छ और स्वास्थ्यकारी बनाना चाहती है। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेज़ी लाने और सुरक्षित स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। इसके तहत दो उप-मिशन- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) बनाए गए और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) के सचिव को मिशन समन्वयक बनाया गया। इस मिशन के तहत 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य हासिल करना तय किया गया जिससे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उन्हें एक उपयुक्त श्रद्धांजलि दी जा सके। स्वच्छ भारत से ग्रामीण क्षेत्र में तात्पर्य ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर को बढ़ाना और ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ), स्वच्छ और साफ-सुथरा बनाने से है।

2 अक्टूबर, 2014 को नई दिल्ली के राजपथ पर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "स्वच्छ भारत 2019 में महात्मा गाँधी को उनकी 150वीं जयंती पर भारत द्वारा दी जाने वाली सबसे बेहतर श्रद्धांजलि होगी।" पूरे देश में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में इस मिशन को शुरू किया गया। इस अभियान का लक्ष्य 2 अक्टूबर, 2019 तक 'स्वच्छ भारत' के विज़न को हासिल करना था।

स्वच्छ भारत मिशन पांच वर्षों (2014-2019) में भारत को

स्वच्छ भारत

खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) करने के लिए शुरू किया गया। ओडीएफ से तात्पर्य मल-मौखिक संचरण की समाप्ति से है जिसे इस तरह परिभाषित किया गया है, क) पर्यावरण/गाँव में कोई दृश्यमान मल नहीं हो और ख) प्रत्येक घर, साथ ही सार्वजनिक/सामुदायिक संस्थान (संस्थानों द्वारा), मल निपटान हेतु सुरक्षित प्रौद्योगिकी के विकल्प का उपयोग कर रहे हो जैसाकि मंत्रालय द्वारा परिभाषित किया गया है। मिशन उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेगा जो इसकी प्रगति में बाधा बन रही हैं, जिसमें मनरेगा से व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के लिए आंशिक वित्तपोषण सहित परिणामों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

मिशन की रणनीति विशाल जन आंदोलन बनाकर 'स्वच्छ भारत' की ओर बढ़ने की है जिसमें सामूहिक प्रयास से घरों, कार्यस्थलों, गाँवों, शहरों और आसपास की सफाई के कार्य किए जाएं। चूंकि स्वच्छता राज्य का विषय है, इसलिए फोकस राज्य सरकारों को लचीलापन प्रदान करने पर है, ताकि वे राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्यान्वयन नीति, धन के उपयोग और कार्यप्रणाली पर निर्णय ले सकें। इसका उद्देश्य राज्यों को एक कार्यान्वयन ढाँचा विकसित करने में सक्षम बनाना है जो मिशन के तहत प्रावधानों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें और हस्तक्षेपों के प्रभाव को अधिकतम कर सकें। भारत सरकार की भूमिका, देश के लिए इसकी सख्त आवश्यकता को पहचानते हुए, मिशन का दर्जा देकर केंद्रित कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाने की होगी।

व्यवहार परिवर्तन/आईईसी व्यवहार परिवर्तन स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य विभेदक रहा है और इसलिए व्यवहार परिवर्तन

भारत का पहला हरित गाँव - खोनोमा

'खोनोमा' भारत का एक गाँव है, जिसे भारत सरकार और नगालैंड सरकार द्वारा के लगभग साढ़े छह लाख गाँवों में से भारत का पहला 'हरित गाँव' घोषित किया गया है। 2005 में 30 मिलियन रुपये की 'ग्रीन विलेज परियोजना' शुरू करने के माध्यम से खोनोमा के मूल निवासियों, नगालैंड सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से ये संभव हुआ है। नगालैंड की जनजातियाँ जन्मजात योद्धा हैं, जो एक खेल के रूप में सिर का शिकार करते थे और ऐसा कहा जाता है कि वे कुछ भी ऐसा खा सकते हैं जो हिल सकता है। लेकिन 'खोनामा' गाँव को एक हरा-भरा, आत्मनिर्भर और टिकाऊ गाँव बनाने के लिए ग्रामीणों ने जानवरों का शिकार करना और पेड़ों को काटना बंद कर दिया। वे झूम खेती, सीढ़ीदार खेती, वन संरक्षण, बांस हस्तशिल्प और बहुत कुछ कर रहे हैं। साथ ही, 'स्वच्छ भारत अभियान', 'मनरेगा' और अन्य योजनाओं का अनुसरण कर रहे हैं और सरकार की पहल और आवंटित फंड का पूरा उपयोग कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि इन सब के साथ यह गाँव अपनी अंतर्निहित संस्कृति, विरासत और परंपरा को भी संरक्षित कर रहा है।

संचार (बीसीसी) प्रबंधन गतिविधियों पर जोर दिया गया है। चूंकि गाँवों को खुले में शौच से मुक्त तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक गाँव के सभी घरों और व्यक्तियों द्वारा हर दिन और हमेशा शौचालय के उपयोग हेतु वांछित व्यवहार करने के प्रति प्रतिबद्धता ना दिखाई जाए, इसलिए सामुदायिक कार्रवाई और सामाजिक मानदंडों का निर्धारण बेहद महत्वपूर्ण है।

इंटर-पर्सनल कम्युनिकेशन (आईपीसी) : इंटर-पर्सनल कम्युनिकेशन (आईपीसी) के उपयोग से सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार तथा घर-घर हस्तक्षेप के माध्यम से शौचालयों की मांग और उपयोग को बढ़ावा देने पर फोकस होगा। बुनियादी ढांचे के साथ-साथ सामाजिक व्यवहार परिवर्तन स्वच्छता और साफ-सफाई हस्तक्षेप का एक आवश्यक तत्व है, जिसके बिना वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं।

यह मिशन दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक कार्यक्रमों में से एक है क्योंकि भारत की विशाल आबादी इस मिशन की लक्षित लाभार्थी है। ग्रामीण घरों में पीने के पानी की पहुँच और शौचालयों के निर्माण के स्तर में काफी सुधार हुआ है। अपने कार्यान्वयन के दौरान मिशन के तहत देश भर में अब तक स्वच्छता और साफ-सफाई सुविधाओं के स्तर में काफी वृद्धि हुई है। हालाँकि मिशन के लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल करने से पहले अभी भी एक महत्वपूर्ण रास्ता तय करना बाकी है।

इसने देश को एसडीजी 6.2 की दिशा में आगे बढ़ाया, जिसका लक्ष्य सभी के लिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों के लिए पर्याप्त और समान स्वच्छता पहुँच सुनिश्चित करना है। लोगों की भागीदारी जैसी अप्रोच के माध्यम से, 2019 तक इस अभियान के तहत 10 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया, जिससे 6,30,000 गाँवों में 50 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ।

यदि किसी गाँव को 'स्वच्छ गाँव' बनाना है तो 2019 में प्राप्त की गई खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) स्थिति का प्रभावी रखरखाव, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तौर-तरीकों और पद्धतियों का कुशल और प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करना, ग्रे वॉटर उपचार और जल स्रोत संदूषण की रोकथाम सुनिश्चित करना आदि कुछ अन्य प्रमुख कार्य हैं जिन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

'हरित गाँव' बनने के लिए ग्राम पंचायतों को सामुदायिक स्तर पर सामाजिक नियमों, सहयोग और अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से परिवर्तन लाकर हरित, स्वच्छ, गैर-विषैले, कम कार्बन वाले आत्मनिर्भर, पर्यावरण अनुकूल ग्रामीण भारत के निर्माण के लिए पारिस्थितिकीय, आर्थिक और समानता के मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता होगी। 'हरित गाँव' पहल वृक्षारोपण, गाँव के पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैविक खेती, 'जल शक्ति अभियान' के माध्यम से पानी के संरक्षण और नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने जैसी गतिविधियों पर केंद्रित है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम)

भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2019 को लालकिले की प्राचीर से जल जीवन मिशन की शुरुआत की। जेजेएम में 2024 तक सभी ग्रामीण घरों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों तक चालू नल कनेक्शन के ज़रिए स्वच्छ, सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। इस मिशन को उच्चतम स्तर पर मॉनीटर किया जा रहा है। जेजेएम में अवसंरचना के साथ-साथ जल की गुणवत्ता को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है। मिशन का मुख्य फोकस चालू नल कनेक्शन पर रहा है। 15 अगस्त, 2019 को जब मिशन लॉच किया गया, केवल 3.23 करोड़ घरों में नल कनेक्शन चालू थे। 15 अगस्त, 2023 को कुल 19.23 करोड़ घरों में से 12.85 करोड़ घरों (66.8%) में चालू नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं।इस मिशन ने 'स्वच्छ और हरित गाँव' के विचार को भी काफी आगे बढ़ाया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

2 अक्टूबर, 2014 को जब प्रधामंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में राजपथ से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी तो उन्होंने कहा, "स्वच्छ भारत 2019 में महात्मा गाँधी को उनकी 150वीं जयंती पर भारत द्वारा दी जाने वाली सबसे बेहतर

'जल आंदोलन' को एक 'जन आंदोलन' बनाने के लिए, भारत सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया, जो कार्रवाई का एक राष्ट्रीय आह्वान था जिसमें राज्यों, ज़िलों और लाखों लोगों को जल संरक्षण और पुनर्भरण में शामिल किया गया। यह अभियान देश के 256 ज़िलों के 1,592 जल संकटग्रस्त ब्लॉकों में चलाया गया।

श्रद्धांजलि होगी। स्वच्छ भारत मिशन देश के हर हिस्से में एक राष्ट्रीय आंदोलन की तरह शुरू किया गया। यह अभियान 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन पांच वर्षों में (2 अक्टूबर 2014-2 अक्टूबर 2019 तक) खुले में शौच से मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ओडीएफ से तात्पर्य है-

पर्यावरण/गाँव में खुले में कहीं मल नहीं पाया जाना;

प्रत्येक घर के साथ-साथ सार्वजनिक/सामुदायिक संस्थान मल के निपटान हेतु सुरक्षित तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जैसाकि मंत्रालय द्वारा परिभाषित किया गया है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए मनरेगा से आंशिक वित्तपोषण सहित परिणामों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

जल शक्ति अभियान - कैच द रेन (जेएसए-सीटीआर)

2019 में जल शक्ति अभियान के सफल कार्यान्वयन के बाद, विश्व जल दिवस (22 मार्च, 2021) पर प्रधानमंत्री द्वारा 'जल शक्ति अभियानः कैच द रेन' (JSA:CTR) शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य हितधारकों को देश के सभी ज़िलों (ग्रामीण और साथ ही शहरी क्षेत्रों) में मानसून की शुरुआत से पहले, लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ, क्षेत्र की मिट्टी के स्तर और जलवायु परिस्थितियों के उपयुक्त, वर्षाजल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण और रखरखाव, प्री-मॉनसून और मॉनसून अवधि के दौरान, यानी मार्च, 2021 से 30 नवंबर, 2021 तक करना था। यह अभियान मुख्य थीम 'कैच द रेन, व्हेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स' के साथ लागू किया गया।

अभियान में निम्नलिखित पांच विषयों पर फोकस किया गया-

(क) वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण।

(ख) सभी जल निकायों की गणना, जियो-टैगिंग और एक सूची बनाना; जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजनाएं तैयार करना।

(ग) सभी ज़िलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित करना।

(घ) गहन वनीकरण और

(ङ) जागरूकता सृजन

देश के नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने में 2019 और 2021 के जल शक्ति अभियानों की सफलता के आधार पर, 29 मार्च, 2022 को भारत की माननीय राष्ट्रपति द्वारा 'जल शक्ति अभियानः कैच द रेन-2022' (JSA:CTR-2022) अभियान शुरू किया गया। जेएसएः सीटीआर-2022 को देश के सभी ज़िलों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों) में मुख्य विषय 'कैच द रेन, व्हेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स' के साथ चलाया गया। यह अभियान 1 अप्रैल, 2022 से 30 नवंबर, 2022 - देश में प्री-मानसून और मानसून अवधि के दौरान चलाया गया। इस अभियान के तहत जेएसएः सीटीआर-2021 के हस्तक्षेपों के तहत मानी जाने वाली गतिविधियों के अलावा निम्नलिखित नए हस्तक्षेपों के तहत भी गतिविधियां की गई-

(क) स्प्रिंग शेड विकास और प्रबंधन

(ख) वेटलैंड विकास और प्रबंधन

(ग) जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण और विकास

(घ) अमृत सरोवर- आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) मनाने के लिए प्रत्येक ज़िले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण/पुनरुद्धार।

'जल शक्ति अभियानः कैच द रेन' के सफल कार्यान्वयन से देशभर में व्यर्थ बहते पानी में कमी और भूजल स्तर में वृद्धि को अपने उद्देश्यों के लिए इसकी निगरानी करने वाली एजेंसियों/विभागों को स्वीकार किया है।

मंत्रालयों/विभागों/गैर-सरकारी संगठनों/संस्थानों का अभिसरण

इन प्रयासों के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन, कृषि, पशुपालन और पंचायती राज मंत्रालय /विभागों के पूर्ण समर्थन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, यदि गैर-सरकारी संगठन, कॉलेज के छात्र, युवा संगठन जैसे नेहरू युवक केंद्र के स्वयंसेवक आदि भी ग्राम पंचायतों को 'स्वच्छ और हरित गाँव' बनाने की मुहिम में शामिल हो जाएं तो लक्ष्य को तेजी से साकार किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की भूमिका

यदि एक हरित पंचायत खुद को एक स्वच्छ और हरित गाँव में बदलने का संकल्प लेती है, तो उसे निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिएः -

- बर्बादी को कम करने, सतत उत्पादन और खपत सुनिश्चित करने और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के महत्व पर नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना।
- ग्राम पंचायत के भीतर ऐसे उपायों को बढ़ावा देना जो पर्यावरण प्रदूषण को कम करेंगे, जैसे कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर प्लास्टिक के उपयोग को कम करना।
- ग्रामसभा, पंचायत समितियों और अन्य सामुदायिक स्वयंसेवकों

स्वच्छ एवं हरित गाँव

के बीच जलवायु परिवर्तन शब्द और इसके प्रभाव की गहन समझ पैदा करने के लिए कदम उठाना।

- ग्राम पंचायत के भीतर भूमि उपयोग पैटर्न, जल निकायों, जंगलों, पहाड़ी ढलानों, आर्द्रभूमियों और क्षरित वनों का मानचित्रण।
- गैर-लकड़ी वन उपज, रेत, मछली और पानी जैसी सामग्रियों पर सामान्य भूमि, जल निकायों और जंगलों से संसाधनों के सतत उपयोग के लिए उचित मानदंड विकसित करना।
- पानी की जरूरतों, स्रोतों, योजनाओं और उत्पन्न होने वाले ठोस और तरल कचरे का आकलन करना और जिला एवं ग्राम जल संरक्षण योजनाएं तैयार करना।
- ग्राम पंचायतों के लिए जल एवं स्वच्छता उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारित करना।
- बाज़ारों और ग्राम पंचायत परिसरों में भागीदारी और क्षेत्र मूल्यांकन के आधार पर, जीपी में जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चयन।
- बाज़ारों और जीपी परिसरों सहित सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों का रखरखाव सुनिश्चित करना।
- आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर एक व्यापक ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करना।

निष्कर्ष

भारत अपने गाँवों को टिकाऊ मॉडल के तहत विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। 'स्वच्छ और हरित गाँव' की थीम के साथ एक टिकाऊ और आत्मनिर्भर गाँव, जैसा कि महात्मा गांधी ने सोचा था, ग्रामीण जीवन में सुधार लाएगा और शहरों में प्रवास की दर को कम करेगा। 'खोनोमा' ऐसी पहल का एक सफल उदाहरण है जो भारत का पहला हरित गाँव है। समाज सुधारक अन्ना हज़ारे और पोपटराव पँवार ने गांधीजी के दृष्टिकोण पर व्यावहारिक विचार किया है। दोनों ने रालेगाँव सीधी और हिवरे बाज़ार गाँवों के वॉटरशेड विकास, वनों की कटाई सहित उनके समग्र विकास हेतु काम किया है ताकि उन्हें 'आदर्श गाँवों' में परिवर्तित किया जा सके।

गाँवों की सफाई के कार्य में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और जनता द्वारा गाँवों में जल आपूर्ति, स्वच्छता, ठोस जल प्रबंधन, इनडोर वायु प्रदूषण और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत से काम किए गए हैं। सरकार गावों को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए 'हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन', 'जल जीवन मिशन', 'स्वच्छ भारत मिशन', 'जल शक्ति अभियान', 'अमृत सरोवर योजना', 'अटल भूजल योजना' और अन्य कई मिशन जैसी पहल की हैं।

ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे 'कूड़ा' कहा जा सके, जब तक हम खुद 'कूड़ा' पैदा नहीं करते। लगभग सभी मानवीय गतिविधियाँ किसी न किसी प्रकार का कचरा उत्पन्न करती हैं- या तो शारीरिक रूप से या चिंता और तनाव के रूप में। जैसे योगिक साँस लेने के व्यायाम शरीर से विषाक्त पदार्थों को साफ करने के लिए करते हैं, वैसे ही ध्यान मन को शुद्ध करता है। इसी तरह अपने घर और अपने आस-पास के वातावरण को साफ रखने से पर्यावरण की स्वच्छता सुनिश्चित होती है।

ग्राम पंचायत जैसी स्थानीय संस्थाओं को जल-समृद्ध, स्वच्छ और हरित गाँव का लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हालाँकि जागरूकता के स्तर, सामाजिक-आर्थिक विकास, शिक्षा, गरीबी, स्थानीय प्रथाएं एवं रीति-रिवाज़ और पानी की उपलब्धता में विविधता इस लक्ष्य को थोड़ा जटिल और चुनौतीपूर्ण बनाती है। सभी ग्रामीणों के मन में 'स्वच्छ और हरित गाँव' का विचार डालना राष्ट्र की प्राथमिकता होनी चाहिए।

इस लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए ग्राम पंचायतों को विशेष सहायता के साथ प्रोत्साहित करने की ज़रुरत है। ऐसा महसूस किया गया है कि यदि 2030 तक हमें सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना है तो केंद्र, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार के स्तर पर सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ अन्य लोगों के सहयोग से कार्य करने से सभी गाँवों को 'स्वच्छ और हरित' बनाने के साथ-साथ ग्रह के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। ❑

कुरुक्षेत्र का आगामी अंक

नवम्बर 2023

ग्रामीण भारत में प्रतिभा